अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी,

जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

नामांतरण अपील संख्याः–5 / 2020 (2020 / 00214)

<u>अपीलान्ट्सः–</u>

1. गोपाराम पुत्र स्व. श्री राणाराम जी
2. चैनाराम पुत्र स्व. श्री राणाराम जी
   जातियान – भील, निवासीगण – ग्राम खाटावास तहसिल लूणी जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>रेस्पोडेन्ट्सः–</u>

1. देवाराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
2. ओमाराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
3. श्रवणराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
4. भगाराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
5. सुजाराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
6. भूराराम पुत्र स्व. श्री मोहनराम
7. श्रीमती झमकू बेवा स्व. श्री मोहनराम
8. श्रीमती फूली पुत्री स्व. श्री मोहनराम
9. श्रीमती गीता पुत्री स्व. श्री मोहनराम
10. श्रीमती पपूड़ी पुत्री स्व. श्री मोहनराम
11. सुशीला पुत्री स्व. श्री मोहनराम
12. लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री मोहनराम
13. पुखीयाँ पुत्री स्व. श्री मोहनराम
    जातियान – भील, निवासीगण – ग्राम खाटावास तहसिल लूणी जिला जोधपुर।
14. तहसीलदार, तहसिल–लूणी जिला–जोधपुर।

<u>**राजस्व नामान्तरण अपील अर्न्तगत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश निर्णय ग्राम पंचायत खुडाला तहसिल लूणी, जिला जोधपुर जिसके द्वारा ग्राम खाटावास की खसरा नम्बर 103 / 1 431 का म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट्स के पिता स्व. मोहनराम के हक में स्वीकृत कर जमीन राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश निर्णय पारित किया गया।**</u>

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट्स की ओर से अभिभाषक श्री राकेश शर्मा, भुराराम जांगिड़ उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से कोई उपस्थित नही।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 14 की ओर से तहसीलदार लूणी उपस्थित।

आदेश

दिनांक – 12/2/2021

अपीलान्टगण नें यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम खाटावास तहसिल लूणी के म्यूटेशन संख्या–65 स्वीकृति आदेश दिनांक–10.09.1974 के विरूद्ध पेश की। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया गया।

अपीलान्ट के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि स्व. लालूराम जी के तीन पुत्र जिसमें अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम एवं चन्द्राराम तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 13 के पिता स्व. मोहनराम थे। बरवक्त सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 103 रकबा 15 बीघा एवं खसरा नम्बर 107 रकबा 45 बीघा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 431 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा ग्राम खाटावास का खतेदारी अधिकार अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम वल्द स्व. लालूराम कौम भील को मिल गया। उपरोक्त खसरान वाली कास्त की जमीन का खातेदार मालिक स्व. राणाराम हो गया, स्व. राणाराम ने अपने खातेदारी की जमीन को रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 13 के पिता स्व. मोहनराम को बख्शीश, वसीयत, बैचान नहीं की।

अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम ने अपनी खसरा नम्बर 431 की जमीन अपने छोटे भाई स्व. मोहनराम को बोने हेतु दे रखी थी। अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम अनपढ़ थे तथा जमाबंदी गिरदावरी के बारे में जानकारी नहीं रखते थे नहीं जमीन की पासबुक थी। स्व. राणाराम के भाई स्व. मोहनराम ने चुपके–चुपके पटवारी से मिलिभगत कर खसरा नम्बर 431 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा जमीन एवं खसरा नम्बर 103 में से 5 बीघा जमीन जिसे खसरा नम्बर 103/1 बताकर बिना किसी बैचान, बख्शीश, वसीयत अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम की जमीन को स्व. मोहनराम का स्वर्गवास हो जाने के बाद स्व. मोहनराम के उत्तराधिकारी वारिसान रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 13 ने जमीन को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवा दिया। अपीलान्ट्स के पिता स्व. राणाराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

की कुल तीन खसरान की कुल रकबा 84 बीघा 01 बिस्वा जमीन का जब अपीलान्ट ने बंटवाड़ा करवाना चाहा तब पता चला कि अपीलान्ट्स के पिता ने जो जमीन अपने भाई मोहनराम को बोने हेतु दी उसको मोहनराम ने बिना किसी सबूत दस्तावेज अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या-14 के आदेश से जो म्यूटेशन संख्या 65 ग्राम खाटावास वाला ग्राम पंचायत ने स्वीकृत किया उसको निरस्त करवाने हेतु अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की।

अपीलान्ट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अपील के साथ अपीलान्ट ने स्थगन प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसको सुना जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया कि विवादित खसरान वाली जमीन की मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखे। रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 की ओर से अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्स 1 से 13 की तरफ से धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश किया गया जो सामिल पत्रावली किया गया। धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपील पेश करने की देरी के कारणों को उचित मानकर देरी क्षमा कर अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 12 ने अपील में जवाब-दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के अभिभाषकगणों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट्स के अभिभाषक राकेश शर्मा ने बहस में बताया कि खसरा नम्बर 431 एवं 103 ग्राम खाटावास को जमीन का खातेदार मालिक स्व. राणाराम पुत्र स्व. लालूराम थे तथा स्व. राणाराम ने अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 431 एवं खसरा नम्बर 103 को स्व. मोहनराम को बैचान ट्रांसफर, बख्शीश, वसीयत नहीं किया। स्व. मोहनराम के हक में जमीन का खातेदारी अधिकार पाने का कोई दस्तावेज सबूत नहीं होने के उपरान्त तहसीलदार ने तथाकथित एग्रीमेन्ट का हवाला देकर जमीन का म्यूटेशन स्व. मोहनराम के हक में करने का आदेश पारित कर दिया एवं तहसीलदार के आदेश पर ग्राम पंचायत खुडाला ने खसरा नम्बर 431 एवं 103 ग्राम खाटावास का म्यूटेशन स्व. मोहनराम के नाम कर दिया। खसरा नम्बर 431 एवं 103 पर आज भी कब्जा काश्त अपीलान्टगण का है। खसरा नम्बर 431 एवं 103 का म्यूटेशन स्वं मोहनराम के पक्ष में स्वीकृत करने का कोई कानूनीया आधार दस्तावेज नही था इसके बावजूद मिलिभगत कर म्यूटेशन स्व. मोहनराम के हक में कर दिया। म्यूटेशन 65 ग्राम खाटावास को निरस्त करने की प्रार्थना की।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

रेस्पोडेन्ट्स के अभिभाषक श्री ईश्वरसिंह ने जवाब को बहस का आधार बनाकर बताया कि स्व. लालूराम के तीन पुत्र राणाराम, चन्द्राराम एवं मोहनराम थे तथा स्व. लालूराम ने अपने जीवन काल में जमीन का बराबर तीन भागों में बंटवाड़ा कर दिया था। स्व. लालूराम के तीनों पुत्रों के मध्य बंटवाड़ा किया एवं बंटवाड़े से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट के आधार पर म्यूटेशन संख्या–65 स्व. मोहनराम के हक में स्वीकृत किया गया। अभिभाषक महोदय ने बताया कि म्यूटेशन संख्या–65 के अनुसार स्वीकृत किया है अपीलान्टगण ने यह अपील झूठी पेश की है जो खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट ने बरवक्त सेटलमेन्ट से खसरा नम्बर 431 एवं 103 की जमाबन्दी (खतौनी) पेश की जो स्व. राणाराम पुत्र स्व. लालूराम के नाम से है। खसरा नम्बर 103 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 107 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 431 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा जमीन बरवक्त सेटलमेंन्ट स्व. राणाराम के नाम खातेदारी में दर्ज कर राणाराम के खातेदार अधिकार प्रदान किया गया। रेस्पोडेन्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता स्व. मोहनराम ने जमीन राणाराम के नाम खातेदारी में दर्ज होने बाबत कोई आपति नहीं की। जमीन का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु कोई दावा नहीं किया। स्व. मोहनराम ने बिना सबूत आधार जमीन को राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवा दिया। रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से यह आधार बताया कि जमीन का बंटवाड़ा हो गया था जिसका एग्रीमेन्ट किया था। रेस्पोडेन्टगण ने कोई एग्रीमेन्ट सबूत न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्टगण ने ऐसा कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि जमीन का म्यूटेशन रेस्पोडेन्टगण के पिता स्व. मोहनराम के नाम स्वीकृत किया जा सके।

उपरोक्त आधार एवं विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत खुडाला के ग्राम खाटावास जिला जोधपुर का म्यूटेशन संख्या–65 जो स्व. मोहनराम के हक में स्वीकृत किया गया खारिज किया जाकर तहसीलदार लूणी को प्रति प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षकारान को समुचित सूनवाई का अवसर देते हुवे जॉच कर पुनःनामान्तरकरण दर्ज करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

आदेश सरे इजलास आज दिनाक 12/2/2021 सुनाया गया।

(गोपाल परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी।